



महिला सशक्तिकरण योजनाएं

निशा 1, सीमा रानी 2

¹⁻² विस्तार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग, चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा, भारत।

सारांश

नारी इस समाज का अहम हिस्सा हैं। इस समाज के निर्माण में नारी का विशेष स्थान रहा हैं। अगर नारी पढ़ी लिखी होगी तो वो समाज के कार्यों में योगदान दे सकती हैं। एक नारी अपने जीवन में तीन अहम भूमिका निभाती हैं। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ और यह तीनों हिस्से उसकी जीवन में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं। और एक बेटी, पत्नी और एक माँ उनके लिए कुछ करें इन सब की उम्मीद रखते हैं। पर इन सब बातों के लिए ज़रूरी है एक नारी का शिक्षित होना। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वयं का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे सकती हैं। इसलिए आज समाज नारी की शिक्षा पर ध्यान दें रहा हैं और उसे शिक्षित कर रहा हैं, ताकि देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े।

मूल शब्द : नारी की भूमिका, नारी शिक्षा, नारी का समाज में स्थान।

प्रस्तावना

नारी इस समाज का अहम हिस्सा हैं। इस समाज के निर्माण में नारी का विशेष स्थान रहा हैं। प्राचीन समय में नारी को पूजा जाता था उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता था। उसे पुरुषों के सामान ही माना गया हैं। वह अपनी विद्वता और संस्कृतियों के लिए बहुत प्रसिद्धि और यश प्राप्त करती थीं। लेकिन समय के साथ-साथ समाज में पुरुषवादी मानसिकता अपनी जड़ें जमाती चली गई और स्त्रियों को दबाया-कुचला जाने लगा।

“कहते हैं, एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि अगर एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।” स्त्री परिवार की धुरी होती है। वह माँ होती है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार तो देती ही है, उनके स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखती है। शिक्षित स्त्री घर-परिवार का प्रबंधन अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती है, आय-उपार्जन तथा अन्य कामों के मामले में पति का हाथ बँटाती है, अपने अधिकारों और दायित्वों को बेहतर रूप से समझती है और समाज में फ़ैली कई बुराइयों के विरोध में खड़ी हो सकती है।

शिक्षा के कारण ही नारी सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास कर सकती है, परन्तु आज नारी क्षेत्र की मुख्य बाधाएँ हैं—महिलाओं का अशिक्षित होना, अधिकारों के प्रति उदासहीनता, सामाजिक कुरीतियाँ तथा पुरुषों का महिलाओं पर स्वामित्व इन सभी समस्याओं से छुटकारा एक नारी पाना चाहती हैं तो उसका एकमात्र साधन हैं शिक्षा।

वर्तमान समय में यह महसूस किया जा रहा है कि नारी को शिक्षा दिलवाने में ठोस कदम उठाने होंगे तभी समान विकास हो पायेगा। इसलिए नारी-शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहें हैं। आज भारत में लड़कियों के लिए अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलें जा रहें हैं ताकि नारी भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। महिलाओं को शिक्षित बनाने का वास्तविक अर्थ हैं उसे प्रगतिशील और सभ्य बनाना, ताकि उसमें तर्क दृशक्ति का विकास हो सके। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वयं का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे

सकती हैं। इसलिए आज समाज नारी की शिक्षा पर ध्यान दें रहा हैं और उसे शिक्षित कर रहा हैं, ताकि देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े।

हाल के वर्षों में समाज में एक जागृति आई है। वैचारिक स्वतंत्रता ने सामाजिक पुरुषवादी सोच की जड़ता को झकझोर डाला है और लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की परिधि के भीतर ही होना चाहिए और स्त्री शिक्षा लाभ से अधिक हानि देती है। फिर भी, इन नकारात्मक सोचों को दरकिनार कर स्त्री शिक्षा दर दिनोंदिन बढ़ रही है। सह शिक्षा के साथ-साथ देश भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए सैकड़ों अलग विद्यालय और महाविद्यालय भी खुले हैं, जिनमें हजारों लड़कियाँ पढ़ती हैं।

लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी समग्र शिक्षा मिलनी चाहिए। वह शिक्षा जिसमें उनकी रुचि हो, जो उनके भविष्य के लिए नई राह खोलती हो, साथ ही, उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान देती हो।

भारत सहित दुनिया भर के देशों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा भारत सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव के प्रति सजग हो रही है। ये योजनाएँ कमजोर और पीड़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। मोदी सरकार ने भी महिलाओं के मुद्दों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी है। तो आइए जानते हैं सरकार की इन योजनाओं के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य है कि महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाना। 22 जनवरी 2015 को शुरू, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम यह योजना 1 अप्रैल 2015 को 'निर्भया' फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसके तहत पुलिस डेस्क,

कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। वर्किंग वुमन हॉस्टेल योजना का उद्देश्य है काम करने करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास असानी से उपलब्ध कराना। जहां पर उनके बच्चों के देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, सेमी अरबन और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्धी है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है, जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता और कौशल प्रदान करते हैं। साथ ही जो महिलाओं को स्व-रोजगार / उद्यमी बनने में सक्षम बनाती हैं क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और आईटी कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी, रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। इस स्कीम की स्थापना 1999 में की गई। केंद्र सरकार ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थानों द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार महिलाओं और संस्थाओं द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और पीड़ित महिलाओं के लिए जो अच्छा काम करते हैं या ऐसी महिलाएं अपने हालात से बाहर आकर कुछ अलग करती हैं उन्हें नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। स्वाधार गृह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की थी। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं व लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है। लाभार्थियों में उनके परिवारों और रिश्तेदारों, जेल से रिहा महिला कैदियों और बिना पारिवारिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से बचे महिलाओं, आतंकवादी / अतिवादी हिंसा आदि महिलाओं की पीड़ित विधवाएं शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां मुख्य रूप से एनजीओ हैं। महिला शक्ति केंद्र योजना यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उंब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्ती बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर काम करती है। महिला ई-हाट इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रख कर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला 'ई-हाट' दिया है।

संदर्भ

1. गुलशन छाबड़ा (2014) शिक्षा ही नारी की असली ताकत। <https://nari.punjabkesari.in/nari/news/article-293465>
2. हिमाचल दस्तक (2016) शिक्षा- नारी जीवन में शिक्षा का महत्व। <http://himachaldastak.com/education/womens-education-91083.html>
3. केशव सिदार (2017) सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। <https://keshavsidar.wordpress.com/2017/02/03/first-blog-post/>